तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
11.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। वकील प्रतिवादी ने न्यायालय द्वारा [illegible] में पेश प्रार्थना पत्र 139/2017 अन्वान आसूराम ~~[illegible]~~ मंगलाराम मेरिट पर खारिज किया जा चुका है तत्पश्चात प्रकरण सं. 139/2017 में सफलता नहीं मिलने पर आसूराम के पुत्र ओमप्रकाश के नाम से प्रकरण सं. 103/2018 दर्ज करवाकर न्यायालय को गुमराह कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 15.05.18 को जवाब पेश होने तक जारी करवाली तथा पत्रावली न्यायालय द्वारा से तलब कर राजस्व मण्डल में जेरकार है। अतः निर्णय दिनांक 1.5.2018 के ~~[illegible]~~ मेरिट पर खारिज होने तथा दिनांक 15.05.2018 को पुनः स्थगन जारी कर पत्रावली न्यायालय द्वारा से तलब की जाने से हस्तगत प्रकरण में अवमानना का प्रकरण नहीं बनता चूंकि प्रकरण राजस्व मण्डल में जेरकार है तथा उक्त सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्णय पत्रावली पर नहीं है अतः वकील प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थीगण को परेशान करने की कोशिश में है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2018 की अवमानना होने पर अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी	

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौजा तिलवासनी के ख. नं. 821 से सम्बन्धित प्रकरण सं. 1319/2017 में निर्णय दिनांक 1.5.2018 में विस्तृत निर्णय पारित कर न्यायालय ने निर्णय दिया कि "प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार नहीं है तथा उसने भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार उत्पन्न होता हो। प्रार्थी ने प्रस्तुत दस्तावेज के साथ सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्शायी वंशावली से भी उक्त वादग्रस्त आराजी का कोई सम्बन्ध साबित नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता, सुविधा एवं संतुलन व अपूरणीय क्षति भी ~~आई~~ अप्रार्थी सं. 01 की ही होगी।" इस निर्णय के बाद प्रार्थी के पुत्र के नाम हस्तगत प्रकरण में 15.05.2018 को अस्थायी अंतरिम निषेधाज्ञा जवाब पेश होने तक जारी की गई लेकिन पत्रावली न्यायालय के तलब होने के बाद 15.05.2018 के बाद की स्थिति का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है और ना ही प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश किया जिससे साबित हो कि स्थगन वर्तमान में भी जारी है। अतः प्रकरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेखन की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	